


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) सू.अ. अपील संख्या 113/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/08/2024	<p>अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ निवासी 79, हनुवन्त बी सेक्टर बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2024 में उनके द्वारा प्रमारी अधिकारी मंहगाई राहत व प्रशासन गांवों के संग अभियान झंवर में पेश प्रार्थना पत्र क्रमांक 55 में गांव झंवर के खसरा नम्बर 1803/2 नक्शे में गलत दर्शाकर अवैधानिक कब्जा करवाने वाले के विरुद्ध विधिक कार्यवाही एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार झंवर) ने जरिये पत्रांक 370 दिनांक 20.08.2024 से बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या ए से डी की सूचना/सूचना नहीं दिये जाने के स्पष्टीकरण की सूचना पत्रांक 286 दिनांक 05.07.2024 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की गई।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राध.</p>	